667वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अगस्त 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 667वीं बैठक दिनांक 08/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9229/2022 Shri Gopal Raghuwanshi, situated near village Kalyansi Khedi Pithampur, Dist. Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry in an area of 1.60 ha. (Stone 25000 Cum per annum and Murrum-14000) (Khasra No. 165/1 Peki), Village - Kalyansikhedi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल रघुवंशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Gopal Raghuwanshi, Owner, situated near village Kalyansi Khedi Pithampur, Dist. Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	165/1 Peki (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.60 Ha.
स्थल	Village klyansikhedi, Tehsil Pithampur, Dist. Dhar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 593 दिनांक 21/04/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में उत्पादन क्षमता 25000 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर सिया स्तर से पत्र क्रमांक 1529 दिनांक	

	06/09/22 द्वारा पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–14,000 घनमीटर/वर्ष हेतु संशोधित टॉर जारी किया गया है ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–14,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–14,000 घनमीटर हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 06/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.750 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 06/06/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 06/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खंडवा जिला धार के पत्र दिनांक 02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	06 पेड़ है Tree Felling – 06 पेड Additional tree to be planted - 60 पेड
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड़ 355 मीटर
	पूर्व दिशा– पूर्व दिशा में हॉलेज रोड़ 32 मीटर
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में धूल की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण, ब्लास्टिंग के दौरान सावधानी इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।

प्रकरण का परीक्षण :–

1. खदान का भू–स्वामित्व भील जनजाति का है जिसमें गैर आदिवासी एवं भू–स्वामित्व का अगूठा लगा हुआ सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत नही होना पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम – 14,000 घनमीटर/वर्ष
2. सक्षम अधिकारी से भू–स्वामित्व संबंधी सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.58 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 0.70 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
कल्याणसिखेडी गांव के भासकीय विद्यालय में कम्प्युटर एवं प्रिटंर प्रदान किया जायेगा।	50,000
कल्याणसिखेडी गांव में रोगी कल्याण समिति में पूंजी जमा की जाएगी	1,00,000
कुल	**1,50,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1950 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 518	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली,	450

	मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	कटहल, सीताफल सिस्सु आदि।	
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1200 मीटर) के एक ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	400
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	**1050**
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		कुल	1950

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No 9402/2022 Shri GAGAN SIKKA, Authorized Signatory, M/s BALAJI MINERAL, Village: Prakash Bamhori, Tehsil: Gaurihar, District: Chattarpur (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.536 ha. (2,16,326 Cum per annum) (Khasra No. 1945), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/8/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गगन सिक्का एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GAGAN SIKKA, Authorized Signatory, M/s BALAJI MINERAL, Village: Prakash Bamhori, Tehsil: Gaurihar, District: Chattarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1945 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) पहाड़	3.536 Hectare
स्थल	ग्राम Prakash Bamhori तसहील Gaurihar जिला CHHATARPUR (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म,	

	मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 05/02/21 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1
टॉर	समिति की पूर्व की 605वीं बैठक दिनांक 10/11/22 में उत्पादन क्षमता 2,16,326 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा और परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–बी के बिंदु क्रमांक–15.3 Additional Information पर अपलोड फार्म–1 एवं पीएफआर में भी स्टोन उत्पादन क्षमता 2,16,326 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित है और इनती ही मात्रा की जन सुनवाई सम्पन्न हुई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–ए के बिंदु क्रमांक–13 Details of Products & By-products पर पत्थर–2,16,326 घनमीटर/वर्ष एवं माइन वेस्ट–28,305 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया जो अनुमोदित खनन् योजना, टॉर एवं फार्म–1 एवं पीएफआर के अनुरूप नहीं है ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–2,16,326 घनमीटर/वर्ष एवं माइन वेस्ट–28,305 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–2,16,326 घनमीटर/वर्ष एवं माइन वेस्ट–28,305 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1793 दिनांक 04/06/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.936 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर के 2153 दिनांक 22/04/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	न्यायालय नायब तहसीलदार, जुझार नगर तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 278 दिनांक 05/10/18 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत प्रकाश बम्होरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 14/12/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– **भवन**–210 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– **भवन**–35 मी.
	पूर्व दिशा– **हालेज रोड** –32 मी.
	पश्चिम दिशा– **भवन**–350 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–151 के सरल क्रमांक–146 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिंदु पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया –

- समिति की पूर्व की 605वीं बैठक दिनांक 10/11/22 में उत्पादन क्षमता 2,16,326 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा और परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–बी के बिंदु क्रमांक–15.3 Additional Information पर अपलोड फार्म–1 एवं पीएफआर में भी स्टोन उत्पादन क्षमता 2,16,326 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित है और इनती ही मात्रा की जन सुनवाई सम्पन्न हुई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–ए के बिंदु क्रमांक–13 Details of Products & By-products पर पत्थर–2,16,326 घनमीटर/वर्ष एवं माइन वेस्ट–28,305 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया जो अनुमोदित खनन् योजना, टॉर एवं फार्म–1 एवं पीएफआर के अनुरूप नहीं है ।

3. **Case No. – 7656/2019 M/s Indore Municipal Corporation, Pradhan Mantri Aawas Yojana, 107-109, First Floor, Palika Plaza, Dist. Indore, MP, Prior Environment Clearance for Construction of Residential Building Project (Affordable Housing Project Under Pradhan Mantri Awas Yojna) (Total Plot Area = 87960.0 sqm, Built-up Area of Area = 148796.16 sqm) at**

Village - Niranjanpur, 45 M Wide MR-11, Road, Tehsil - Indore, District - Indore (MP)

प्रकरण के सूचीबद्ध होने के बाद परीक्षण में पाया कि तकनीकी खराबी के कारण यह प्रकरण क्रमांक 7656/19 में मेसर्स SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED का भी विवरण दिख रहा है, जबकि इस प्रकरण क्रमांक 7956/2020 है और प्रकरण क्रमांक 7656/19 को समिति की 457वीं बैठक दिनांक 18/09/20 को पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की जा चुकी है । परिवेश पोर्टल पर इस त्रुटि के संबंध में मेसर्स SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार से चर्चा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि तकनीकी त्रुटि के संबंध में सिया स्तर पर प्रकरण को सही नं. के साथ सेक को भेजने हेतु उनके पत्राचार किया गया है ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परिवेश पोर्टल पर मेसर्स SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED के वास्तविक प्रकरण क्रमांक 7956/2020 के साथ प्रेषित किया जाये जाने हेतु प्रकरण सिया को वापिस किया जाये ।

4. Case No 10088/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Sahapura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Shahpura, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।
।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	5.0 ha.
स्थल	ग्राम Shahpura तसहील एवं जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान कुंदा नदी में स्थित है, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।	

का नाम एवं गूगल इमेज के अनुसार स्थिति ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 531 दिनांक 30/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदन संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 531 दिनांक 30/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 531 दिनांक 30/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलवाड़ी जिला खरगौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(B) के सरल क्रमांक–23 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9,984 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–9,984 मी^{3} प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति 9,984 घनमीटर /वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.21 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम शाहपुरा में शासकीय विद्यालय के अधो संरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 5 6 मीटर की लम्बाई पर 00 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	खास में पंक्ति 3 - 1, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	350
		पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी 5 - 4	250
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	100
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)730मी फ़ीट 4 के दोनों ओर (की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	400
3	गांव मांगरुल के पंचायत भवन , प्राथमिक चिकित्सा केंद्र , पोस्टऑफिस, नाग मंदिर आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास ,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1800
4	आस पास के गांवों में वितरित- पौधे की ऊंचाई) किया जाना (मीटर 1 न्यूनतम	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	3100

✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की

सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
योग	**6000**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 10089/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Pitamali Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 5/1/1), Village-Pitamli, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5/1/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि) चरागाह	4.0 ha.
स्थल	ग्राम PITAMLI तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 745 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 745 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 745 दिनांक 16/06/23 अनुसार नर्मदा व गोमती नदी लगभग 350 मीटर की दूरी पर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिटामली जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–8 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–19,998 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 20,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–19,998 मी^{3} प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति 19,998 घनमीटर /वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.02.34 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पितामालि के शासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में नदी के किनारे पर 200 मीटर की लम्बाई पर 6 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	3- 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	100
		5 - 4पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	125
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	75
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)1200मी फ़ीट की 4 के दोनों ओर (उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	600
3	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	800
4	आस पास के गांवों में वितरित किया- 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) जाना (मीटर	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	3100

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. <u>Case No 10096/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Daheriya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 54/3), Village-Daheriya, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP)</u>

667वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अगस्त 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	54/3 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)
स्थल	ग्राम Dehariya तसहील Barwaha जिला Khargone (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, एवं रोड़ ब्रिज डाऊन स्ट्रीम में 395 मीटर की दूरी पर स्थित है । खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने एवं रोड़ ब्रिज की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 2.89 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.10 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 16/06/23 अनुसार कल्याणी माता आश्रम, बालकदास जी का आश्रम और अन्य आश्रम है । 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा पदी पर एक्बाडक्ट ब्रिज बना है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नावघाटखेड़ी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–27 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,044 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम नावघाट खेड़ी के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में रोगी कल्याण समिति में पूंजी जमा की जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 25 0 मीटर की लम्बाई पर 6 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	3- 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	200
		5 - 4पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	150
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	50
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड) 900मी (के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	जगह पर्याप्त नहीं है।	-
3	गांव बड़वाह के पंचायत भवन, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पोस्टऑफिस, नाग मंदिर आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2000

4	आस-पास के गांवों में वितरित किया जाना) पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर(	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2400
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		
		योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. <u>Case No 10103/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Gogawa Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (8000 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Gogawa, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	15 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम Gawala तसहील जिला Khargone जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	

रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान कुंदा नदी में स्थित है खदान में से नदी का वहाव हो रहा है एवं रोड़ ब्रिज डाऊन स्ट्रीम में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है । खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने एवं रोड़ ब्रिज की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 3. 05 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.95 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–8000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 8000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी का अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार का अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 16/06/23 अनुसार 100 मीटर पर बसाहट एवं 200 मीटर पर सेंट मेरी स्कूल है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत का अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र अपलोड नहीं किया गया है, अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करें ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–24 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–7963 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7963 मी^{3} प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति 7963 घनमीटर /वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.77 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.01.80 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गोगवा के आंगनवाड़ी केंद्र में खेल के उपकरण दिए जायेंगे।	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 15 0 मीटर की लम्बाई पर 6 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	3- 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	75
		5 - 4पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	50
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	25
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड) 270मी (के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	140
3	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1000
4	खरगोन के शासकीय चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	700
5	आस पास के गांवों में वितरित-किया जाना 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) (मीटर	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>Case No 10120/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Makadkheda Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 4/1), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.00 Ha.
स्थल	ग्राम MAKARKHERA तसहील Kasrawad जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान खोदू–भरू है, खदान के बीच में से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने बताया कि यह खदान की ही रोड़ है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 748 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 748 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता	

	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 748 दिनांक 16/06/23 अनुसार 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी एवं पश्चिम नाला है, शेष अन्य 500 मीटर दूरी से बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माकड़खेड़ जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–30,492 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम माकड़खेड़ा में शासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में नदी के किनारे पर 3 मीटर की 00 पंक्तियों में पौधा 6 लम्बाई पर रोपण किया जायेगा	3- 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	250
		पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी 5 - 4	150
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं	100

		चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)600मी फ़ीट 4 के दोनों ओर (की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	300
3	आस पास के गांवों में वितरित- पौधे की ऊंचाई) किया जाना (मीटर 1 न्यूनतम	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- • परिवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी ।

योग	**3600**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. <u>Case No 10121/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Kapasthal Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 185), Village-Kapasthal, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	185 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम KAPASTHAL तसहील Barwaha जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसको उल्लेख सरफेस मेंप पर दर्शाया है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 513 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 513 दिनांक 29/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 513 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेमरकलां जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक अपठनीय अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–22 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,012 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.56 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कपास्थली में शासकीय विद्यालय के अधो संरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 65 6 मीटर की लम्बाई पर 0 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	खास में पंक्ति 3- 1, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	600
		पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी 5 - 4	300
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	100
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)800मी फ़ीट 4 के दोनों ओर (की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	400
3	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	700
4	आस पास के गांवों में वितरित- पौधे की ऊंचाई) किया जाना (मीटर 1 न्यूनतम	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2700

✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण

क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No 10122/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Penpur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 319), Village-Penpura, Tehsil-Gogaon, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	319 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम PENPURA तसहील Gogaon जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान कुन्दा नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा हुआ है एवं एक अन्य इंद्रावती नदी खदान के उत्तर दिशा से आकर नदी में मिल रही है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि जो नदी खदान में मिल रही है एवं चैनल खदान में से होकर जा रही है वह क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा । खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने वजह से सेटबेक छोडने के कारण 2.4 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.6 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप पर दर्शाया है । ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 519 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 519 दिनांक 29/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 519 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पेनपुर जिला खरगोन के पत्र दिनांक 17/09/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–29 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–2520 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.03 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पेनपुर के शासकीय विद्यालय के अधो संरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 1200 मीटर की लम्बाई पर 6 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	में पंक्ति 3- 1खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	1000
		4 - 5 पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	400
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)700मी फ़ीट 4 के दोनों ओर (की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	350
3	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1000
4	आस पास के गांवों में वितरित-पौधे की ऊंचाई) किया जाना (मीटर 1 न्यूनतम	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1650

✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10123/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Jalkoti Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 176), Village-Jalkoti, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	176 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	5.00 Ha.
स्थल	ग्राम JALKOTI तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान खोदू–भरू है, खदान के बीच में से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने बताया कि यह खदान की ही रोड़ है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 706 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 706 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 706 दिनांक 06/07/23 अनुसार लगभग 300 मीटर की दूरी पर	

	आबादी, स्कूल, दत्तमंदिर, शेष अन्य 500 मीटर दूरी से बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खराडी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 07/06/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–15,013 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.32लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम जलकोटी के आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये।	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे पर 6 00मीटर की लम्बाई पर 6पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	3 - 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	400
		4 - 5 पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	300
		- 6पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	200

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)400मी (फ़ीट की उचाई वाले 4 के दोनों ओर पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	पौधे लगाने की संभावना नहीं है	-
3	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, महादेव जी मंदिर एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1300
4	आस पास के गांवों में-वितरित किया जाना 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) (मीटर	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	3800
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		
		योग	**6000**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 10124/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Katghada Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 175), Village-Katgarha, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills,

/ का नाम व पता	Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	175 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम KATGARHA तसहील Barwaha जिला Khargone (म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र में से एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज प्रस्तावित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 29/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कटघडा जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 11 दिनांक 14/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रकरण का परीक्षण :–

- प्रस्तुतीकरण के दौरान यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र में से एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज प्रस्तावित है एवं पर्यावरण स्वीकृति 05 वर्ष के लिये होगी अतः जिला खनिज अधिकारी संबंधित विभाग से निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज के संबंध में जानकारी प्राप्त करे की निर्माण एवं पूर्ण समाप्ति जानकारी प्रस्तुत करे । तदुउपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

13. <u>Case No 10125/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Pandyaghat Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (22000 cum per year) (Khasra No. 55/1), Village-Pandiaghatkheri, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	55/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	5.00 Ha.
स्थल	ग्राम PANDIAGHAT KHERI तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–22,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–22,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 707 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 707 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 707 दिनांक 06/07/23 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर आबादी एवं स्कूल है, शेष अन्य 500 मीटर दूरी से बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेजगॉव जिला जबलपुर के पत्र दिनांक 10/06/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–7 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–22,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 22,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–22,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.32लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंड्याघाट के आंगनबाड़ी केन्द्र में मरम्मत का कार्य किया जायेगा।	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे में पौधा रोपण	पर्याप्त क्षेत्र नहीं है	
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)1100मी के (फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए 4 दोनों ओर जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	550

3	गांव के पंचायत भवन , आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1200
4	आस पौधे) पास के गांवों में वितरित किया जाना- (मीटर 1 की ऊंचाई न्यूनतम	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2850

✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 10126/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Malgaon Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 3/2), Village-Malgaon, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/2 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम MALGAON तसहील Kasrawad जिला Khargone (म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	

श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 749 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 749 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 749 दिनांक 16/06/23 अनुसार 150 मीटर की दूरी नर्मदा नदी है, शेष अन्य 500 मीटर दूरी से बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बुजुर्ग जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 08/03/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–24,480 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.02.28लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)

ग्राम मालगांव में शासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	**40,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे में पौधा रोपण	पर्याप्त क्षेत्र नहीं है	
3	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)1500मी के (फ़ीट की उचाई वाले पौधे 4 दोनों ओर लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	750
	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1200
	आसपास के गांवों में वितरित किया- जाना (मीटर 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	2850

✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. <u>Case No 10142/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Lalpur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Lalpura, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	44 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)
स्थल	ग्राम Lalpura तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है, जो कि 02 नदियों के बीच में स्थित स्थल पर है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 755 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 755 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 755 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महेश्वर जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रे खनन् हेतु पंचायत द्वारा अनुशंसा की गई ।

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–28 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9,990 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण का परीक्षण :–

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू–भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है जबकि खनन् योजना में रिवर वेड माईनिंग दर्शायी गई है। अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तद्उपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

16. <u>Case No 10143/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Kayatkedi Sand Quarry in an area of 1.20 ha. (10008 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kayat khedi, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.20 Ha.
स्थल	ग्राम Kayat Khedi तसहील Kasrawad जिला Khargone (म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम गूगल इमेज के अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि पूर्णतः जलमग्न है । उपस्थित खनिज अधिकारी ने बताया कि खदान अंक्षास एवं देशांस त्रुटिपूर्ण है अतः इनका पुनरीक्षित अंक्षास एवं देशांस पुनः प्रस्तुत किये जायेगे ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,008 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,008 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,008 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 746 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 746 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 746 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा / ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं की गई है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9,996 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण का परीक्षण :–

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि पूर्णतः जलमग्न है । खनिज अधिकारी ने बताया कि खदान अंक्षास एवं देशांस त्रुटिपूर्ण है अतः इनका पुनरीक्षित अंक्षास एवं देशांस पुनः प्रस्तुत किये जायेगे । अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके तकनीकी रूप से पुनरीक्षित अंक्षास एवं देशांस के साथ जियोटेग फोटोग्राफ के साथ स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तद्उपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

17. Case No 10144/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Chirakhan Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 48/1/1), Village-Chirakhan, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)

667वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अगस्त 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	48/1/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)
स्थल	ग्राम CHIRAKHAN तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 742 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 742 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 742 दिनांक 16/06/23 अनुसार 150 मीटर की दूरी पर आबादी एवं शैक्षणिक संस्था है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पथराड (चिराखान) जिला खरगोन के पत्र दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52 (ए) के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–14,994 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–14,994 मी^{3} प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति 14,994 घनमीटर /वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिरखान में शासकीय विद्यालय के अधो संरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
	खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे पर 6 मीटर की लम्बाई पर 400 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	खास में पंक्ति 3- 1, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	300
		4 - 5 पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	200
		6 -पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	100
3	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)820मी (फ़ीट की उचाई वाले पौधे 4 के दोनों ओर लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	400
	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1000
	आस पास के गांवों में वितरित किया- (मीटर 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	4000
✓	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।		

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
योग	**6000**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. <u>Case No 10145/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Kathora Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 107/3), Village-Kathora, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	107/3 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम KATHORA तसहील Kasrawad जिला Khargone (म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू – भरू है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 750 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 750 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 750 दिनांक 16/06/23 अनुसार लगभग 100 मीटर की दूरी पर आबादी, 225 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी तथा नाला स्थित है तथा शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़गॉव जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(बी) के सरल क्रमांक–15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–30,096 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कटोरा के शासकीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
	खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में नदी के किनारे पर 70 6 मीटर की लम्बाई पर 0 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	3- 1पंक्ति में खास, नागर मोथा, लेमन ग्रास, घटायन के बीज एवं स्थानीय घास लगाई जाएगी	600
		4 - 5 पंक्ति में कटंग बांस लगाई जाएगी	300
		6 -पंक्ति में करंज , जामुन, लसोड़ा, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत, एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वर्ष एवं स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	200
3	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)1300मी (फ़ीट की उचाई वाले 4 के दोनों ओर पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	650
	आस पास के गांवों में वितरित किया- (मीटर 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	3050

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योगा	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 10146/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.024 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.024 Ha.
स्थल	ग्राम MAKARKHERA तसहील Kasrawad जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 16/06/23 अनुसार लगभग 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी तथा पश्चिम में नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माकड़खेड़ा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–19,980 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 20,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रकरण का परीक्षण :–

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू–भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है जबकि खनन् योजना में रिवर वेड माईनिंग दर्शायी गई है। अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तद्उपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

20. Case No 10147/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Gogawan Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 223/1), Village-Gogawan, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	223/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम GOGAWAN तसहील Maheshwar जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग पत्र क्रमांक 711 दिनांक 17/02/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खोदू–भरू खदान है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 757 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 757 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 757 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पथराड़ (ग्राम गोगावां) जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52(ए) के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9,960 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–9960 मी^{3} प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति 9960 घनमीटर /वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.91 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.31 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गोगवा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षा संग को पूंजी दी जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
	खदान क्षेत्र में नदी के किनारे पर 6 पंक्तियों में पौधा रोपण किया जायेगा	जगह पर्याप्त नहीं है	
3	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)450मी (फ़ीट की उचाई वाले पौधे 4 के दोनों ओर लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	अचार, बरगद, चिरोल, नीम, पुत्रजीवा, कुसुम आम, अंजन,महुआ, अन्य फलदार पौधे एवं स्थानीय प्रजातियां	300
	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक चिकित्सालय, मन्दिर परिसर एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	पीपल, चिरोल, करंज, खिरनी, अमलतास,बरगद,नीम, पीपल, चिरोल, अशोकस्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	1500
	आस पास के गांवों में वितरित किया- (मीटर 1 पौधे की ऊंचाई न्यूनतम) जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी	3000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परिवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी ।

योग	**4800**

अनुशंसा :– उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. <u>Case No 9714/2023</u> <u>Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal Division, 74 Bunglow, Khel Parisar, Link Road No. 1, District-Bhopal (MP)-462003 . Prior Environment Clearance for Construction of Van Bhawan, Bhopal Project of Office of Forest Department, Total Plot Area-10.28 acres, Total Built-up Area-38752.51 sqm) at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP).</u>

This is case of Environment Clearance for a Construction Office building of Forest Department "Van Bhawan", Bhopal [Total Plot Area-10.28 acres, Total Built-up Area- 38752.51 sqm) at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) under violation.

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and Shri R. S. Bhadoriya, authorized representative of PP Shri Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal in the SEAC 630th meeting dated 17.03.2023, during presentation it was observed that construction was started from 2014 and approximately 100 % construction is completed. It was also observed that some old structures were in existence as per old google images which seems to be removed for construction of building thus their details and disposal of waste as per C&D Waste Management Rules, 2016 shall be submitted with EIA repprt. From the Google image it is observed that some trees were in existence before construction of new building and which were uprooted, thus PP shall submit the inventory of all the trees which were uprooted and details of permission obtained for the same. During discussion it was informed to the committee that previously, the department has applied for EC but withdrawn the application thus all previous details with area statement shall be submitted with EIA report.

After deliberation, the Committee considered the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 for technical evaluation of this case. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Status report of constriction took place so far and status of operation/ possession given etc.
2. It was also observed that some old structures were in existence as per old google images which seems to be removed for construction of building thus their details and disposal of waste as per C&D Waste Management Rules, 2016 shall be submitted with EIA repprt.
3. From the Google image it is observed that some trees were in existence before construction of new building and which were uprooted, thus PP shall submit the inventory of all the trees which were uprooted and details of permission obtained for the same.
4. During discussion it was informed to the committee that previously, the department has applied for EC but withdrawn the application thus all previous details with area statement shall be submitted with EIA report.
5. It shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
6. Details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components.
7. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
8. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
9. Project description, its importance and the benefits.
10. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
11. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.

12. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
13. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
14. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
15. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
16. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
17. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
18. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
19. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
20. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
21. Assessment of ecological damage with respect flora & fauna to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
22. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
23. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
24. Cost of project with documentatry evidances wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents and budgetary allocations (yearwise) taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
25. Proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986.

The SEIAA forwareded EIA report on –line through Parivesh Portal for appraisal on dated 07.08.2023 which scheduled by SEAC for EIA presentation in the 667th meeting dated 08.8.2023. The EIA presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and Shri R. S. Bhadoriya, authorized representative behalf of PP as follows:

Proposal for Environmental Clearance For Proposed office project (Van Bhawan) under Violation Category
The site at Link Road no 2, Tehsil Huzur has owned by the proponent and project has already approved by T & CP.

Total land available for Office (Van Bhawan) is 10.28 acres with total built up area of 32286.18 sq mtrs. Out of that 32286.18 sq mtrs of built-up area has already been constructed , hence it is case of 100% violation.	
Total Land Area	Total Land Area = **38752.51 sq mtrs**
Total Built up Area	Total Built Up area (Slab Area Including all common passages, parking, podium etc.) = **32286.18 sq mt for Office Building**
Location of Project	Khasara No 1499/2 and part of 1500 Link Road No -2 Tehsil- Huzur Dist Bhopal (M.P.)
Occupancy of land	Owned by Forest Department, Govt of MP
Geological Location	23°13'29.68"N - 77°24'52.21"E 23°13'26.41"N - 77°24'52.72"E
Surrounding Features	North : Link Road No. 2 South : Char Imli Residential Area East : Residential West : Residential Area

Salient Feature of the Project:

1	Facility	Office complex
2	Total Water Requirement	38.9 KLD
3	Net Fresh Water Requirement	28 .8
4	Total Waste Water Generation	34.6 KLD
5	Power Requirement	1464 KW (Different in PFR)
6	Back-up Power Facility	2 X 500 KVA
7	Solid Waste Generation	125 KG / Day
8	Height of Building	19.35 m
9	Front MOS	Area - 6097.52 sq.m
10	Rear MOS	Area - 2813.67 sq.m
11	Width of main access	7.2 meters
12	Parking area	6150 sq.m

13	Parking number at each	2 wheeler parking – 252, 4 wheeler parking - 214 and Total parking - 466
14	Area under Green belt	8833.02 sq.m
15	Area under Roads	8369.10 sq.m

Area Abstract of Project :

Statement of Areas		**Development**	**Remarks**
S.No	**Particular**	**Proposed**	
1	Organized Open Area	8833.02 sq.m	Includes landscape areas
2	Services Area	797.33 sq.m	Includes Utility Block Area, Transformer & DG location area, Other External Services
3	Maximum FAR	0.71	Total Built up Area / Plot Area
4	Road & Circulation Area	10996.06 sq.m	Includes Road + Paver block area
5	Maximum Ground Coverage	9300.59 sq.m	Ground floor Built-up Area + Security Block + Utility Block
6	MOS Maximum Distance between Two Blocks	103.915 m	Distance between Block A & Block E
7	Maximum Height	18.94 m	18.94m Height when measured from Ground level to terrace floor finish. 21.85m height when measured from Ground level to headroom level.
8	Total Area of Land	10.28 Acre	
9	Total Built-up area including built-up area as per T & CP norms or MPBVR 2012	29518.11 sq.m	Includes Main Building, Utility block & Security block Area
10	Total Built-up area including built-up area of staircases, balcony, basements and other	32286.18 sq.m	Includes Main Building with Basements, Utility block & Security block Area
11	Already built up Area of constructed portion	29518.11Sq mtrs (Slab Area : 32286.18 sq.m)	The constructed area includes Security Block Utility Block Toilets

Area Abstract of Project

Area Statement of Project as per sub rule 30 of Rule 2 of MPBVR				
Block No.	**BUA Including Balcony (in Sq.m)**	**Corridor**	**Floor**	**Total Floor Area (in Sq.m)**
	Each Floor			

A	2445.88		Ground Floor	2445.88
	2364.92		First Floor	2364.92
	2844.71		Second Floor	2844.71
	2730.02		Third Floor	2730.02
B	899.28		Ground Floor	899.28
	133.54		First Floor	133.54
	513.61		Second Floor	513.61
	0		Third Floor	0
C	1762.84		Ground Floor	1762.84
	1755.48		First Floor	1755.48
	1764.97		Second Floor	1764.97
	52.6		Third Floor	52.6
D	880.94		Ground Floor	880.94
	526.79		First Floor	526.79
	524.47		Second Floor	524.47
	795.8		Third Floor	795.8
E	2754.05		Ground Floor	2754.05
	2066.61		First Floor	2066.61
	2073.15		Second Floor	2073.15
	2070.85		Third Floor	2070.85
	2768.07		Basement Floor	2768.07

AREA ABSTRACT OF PROJECT

	Built-up Area		**Remarks**
1	Total Plot Area	10.28 Acre	
2	Less Plot Area under coordination Road	7500 sq.m	
3	Net Plot Area	41601.68 sq.m	
4	Permissible Ground Coverage (25% of C)	8068.76 sq.m	
5	Proposed FAR Ground coverage	0.19	Ground coverage area / Plot area
6	Permissible FAR (1.00 of C)		
7	Proposed FAR	0.71	Total Building area / Plot area
9	Open Area Permissible (Min.) 10% Open Area Proposed	8833.02 sq.m	
10	**Total Services Area**	987 sq.m	
11	Permissible Height	18 m	
12	Road & Circulation	10996.06 sq.m	Area of the Roads + Paver block
13	Width of Internal Road	7.2 m	
14	Width of approach Road	15 m	
15	Front MoS	6097.52 sq.m	Front means of Open Space

16	Rear MoS	2813.67 sq.m	Rear means of Open Space
17	Height of Building	18.94 m	
18	Number of Blocks	8 Blocks	Main Building - 5 Security Block - 2 Utility Block - 1
19	Total Built-up area	29518.11 sq.m	

Area abstract has been enclosed as Under

Area abstract has been enclosed as Under			
Building	**Area in Sq.m**	**Built-up Area Sq.mt**	**Ground Coverage Area Sq.m**
Residential Area	-	-	-
Commercial	29518.11 sq.m	29518.11 sq.m	9300.59 sq.m
Total	29518.11 sq.m	29518.11 sq.m	9300.59 sq.m

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया कि :–

वन भवन निर्माण प्रारंभ से वर्तमान स्थिति तक हुये पूर्ण कार्यो का विवरण : पूर्व मे पत्र क्रमांक 113 दिनांक 15/01/2015 के द्वारा वन मंडलाधिकारी, भोपाल द्वारा पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) कार्यालय मे आवेदन किया गया था जिसे सिया कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (MPSEAC) को प्रकरण क्र0. 2404/2015 के माध्यम से सेक मे प्राप्त हुआ था जिसे सेक की 183 वीं बैठक दिनांक 27/04/2015 मे रखा गया तथा तत्पश्चात् वन मंडलाधिकारी, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 355 ए दिनांक 23/02/2015 के द्वारा यह लेख करते हुये प्रकरण वापिस करने हेतु पत्र ''सचिव सिया को भेजा गया, कि यह वन भवन चूँकि बिल्ट अप एरिया 20,000 वर्ग मीटर से कम होने का लेख कर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत पर्यावर्णीय स्वीकृति (Environment Clearance) लेने की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया।

- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) की बैठक क्र0. 201 दिनांक 22/05/2015 को सरल क्र0. 62 प्रकरण क्र0. 2404/2015 मे हुयी बैठक मे वन मंडलाधिकारी, भोपाल द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 355 ए दिनांक 23/02/2015 पर विचार किया गया तथा इस प्रकरण को बंद करने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) कार्यालय द्वारा पत्र क्र0. 1699/SEIAA/2015 दिनांक 06/06/2015 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को उक्ताशय का पत्र भी प्रेषित किया गया।

- इससे स्पष्ट होता है, कि Environment (Protection) Act, 1986 तथा EIA Notification 2006 मे वर्णित प्रावधानों का भलीभांति ज्ञान वन विभाग को था।
- पत्र क्र0. 71 दिनांक 03/01/2023 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक वन मंडलाधिकारी, भोपाल द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) सिया को पुनः पर्यावर्णीय स्वीकृति (Environment Clearance) प्राप्ति हेतु आवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया। सिया द्वारा उक्त प्रकरण को सिया के प्रकरण क्रमांक 9714/2023 द्वारा पंजीकृत करते हुये से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 630 वीं बैठक दिनांक 17/03/2023 को Appraisal किया गया तथा प्रकरण मे Violation को ध्यान में रखते हुये Terms of Reference (ToR) सशर्त ToR जारी करने हेतु सिया कार्यालय को प्रेषित किया गया तदोपरांत सिया ने अपने पत्र क्रमांक 184/SEIAA/2023 दिनांक 21/04/2023 के माध्यम से सशर्त बिन्दुवार ToR जारी किया जा चुका है।
- दिनांक 07/08/2023 को SEAC में पुनः प्रकरण परिवेश पोर्टल के माध्यम से Appraisal हेतु प्राप्त हुआ जिसे सेक मे दिनांक 08/08/2023 को तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत हुआ। दिनांक 08/08/2023 को आयोजित सेक की बैठक मे निम्न तथ्य सामने आये जिस पर विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक से लेने हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (MPSEAC) द्वारा निर्णय लिया गयाः–
  1. प्रकरण को पूर्व मे वापिस लिया गया तथा किन कारणों से पुनः प्रस्तुत किया गया, उक्त संबंध में Chronological Order मे प्रस्तुत नही किया गया।
  2. ग्राम तथा नगर निवेश (T&CP) द्वारा क्रमांक 1 से 27 तक शर्ते लगायी गई थी उसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया।
  3. STP की क्षमता का किस आधार पर निर्धारण किया गया स्पष्ट नही किया गया।
  4. वाहन की पार्किंग की क्षमता का आधार स्पष्ट नही किया गया।
  5. Fire Safety हेतु क्या उपाय किये गये है अवगत नही कराया गया।
  6. Proof of initiation of Credible action under Environment (Protection) Act, 1986 के अंतर्गत क्या कार्यवाही हुई, एंव कार्यवाही न किये जाने का पर्याप्त एंव तर्कसंगत कारण स्पष्ट करें।
  7. Project Cost के ऊपर परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
  8. Project Cost को ध्यान मे रखते हुये तथा किये गये निर्माण कार्यो को ध्यान मे रखते हुये पर्यावरण, वन एंव जल वायु परिवर्तत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी राजपत्र सं. 1031(E) दिनांक 08 मार्च 2018 में उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन करें। आपके द्वारा बिना पूर्व पर्यावरर्णीय अनापत्ति (Prior Environmental Clearance) के परियोजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण आपके प्रकरण को अतिक्रमण (**Violation**) मानते हुए आपकी परियोजना से हुई

पर्यावरणीय क्षति के एवज् में आपने उसके सुधारात्मक प्रयास हेतु पारिस्थितिकी नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आर्वधन योजना (Assesment of ecological damage, remediation plan & Natural & Community resource Augmentation Plan) को तकनीकी/वैज्ञानिक रूप से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।

9. सोलर उर्जा का पर्याप्त प्रावधान किये जाने का पुनः विचार करें तथा उर्जा उपयोग 30% तक किये जाने पर विचार करें।
10. Sewage BOD level, CPHE द्वारा वर्तमान में जारी Guideline का पालन सुनिश्चित करे।
11. Rain Water का अधिकतम कितना प्रतिशत भूमि मे किया जावेगा इसका विवरण देवें।
12. वृक्षारोपण, CSR संबंधी कार्य का विवरण दिया जावें। उपरोक्त सभी प्रावधानों का EMP मे यथोचित पुनः निर्धारण कर प्रस्तुत करें।
13. वर्तमान मे निर्मित भवन का GPS Survey कर कुल निर्मित क्षेत्रफल से अवगत कराया जावें।
14. वन भवन की बिल्ड़िग में समुचित वेन्टीलेशन की क्या व्यवस्था की गई उसका विवरण प्रस्तुत किया जावें।
15. निर्मित भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:

1. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
2. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
3. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
4. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

5. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
6. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
7. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
8. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
9. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर